अभिलेख उपस्थापित।

किशोरी ठाकुर, पिता-स्व0 जगदीश ठाकुर, ग्राम-मटवारी, उर्दू मध्य विद्यालय, हजारीबाग, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-211, रकवा-04 डी0 भूमि पुनम देवी, पति-छोटन ठाकुर, ग्राम-मटवारी, कुम्हारटोली, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 231/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता पुनम देवी एवं विक्रेता किशोरी ठाकुर पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि सर्वे रैयती खाते की भूमि है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.09 एकड़ भूमि बचेगी। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं गोपाल भुईयां के नाम दर्ज है। पंजी-II के पृष्ट सं0 247/V पर मानकी हजाम के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता किशोरी ठाकुर का अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2021/147186 दिनांक 01.05.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2021/285954 दिनांक-08.10.2021 और क्रेता पुनम देवी का अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2020/152971 दिनांक 29.08.2020 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2020/132211 दिनांक 11.11.2020 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार्रवा... टिप्पणी
1	2	
	आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-211, रकवा-04 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.03 15:05:34 +05:30
Location: 192.168.100.2